न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 45 / 2017

उनवान

1. सुवा पुत्र हजारी जाति कुम्हार नि0 ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. ग्यारसी पत्नी छोटू
2. मिश्री
3. गोपाल
4. सुरेश पिता छोटू
5. श्रीमति मंजू पत्नी गोपाल दत्तक पुत्र भंवरलाल
6. आकाश पि. गोपाल दत्त्क पुत्र भंवरलाल समस्त जाति कुम्हार निवासी भवानीखेड़ा
7. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 6 अनुपस्थित
7 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 12.10.18

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा के हाल खाता संख्या 104 / 132 किता 20 रकबा 2.07 कि आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 अनुपस्थित रहे।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किया व कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया विद्वान अधिवक्ता व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। अआराजी मुतनाजा घीसी पत्नी हजारी, भंवरलाल, सुवा पि0 हजारी, ग्यारसी पत्नी छोटू, मिश्री, गोपाल, सुरेश पि0 छोटू की सहखातेदारी में दर्ज है। राजस्व अभिलेख अनुसार उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। वादी ने वाद में अंकित किया है कि घीसी पत्नी छोटू, भंवरलाल व छोटू की मृत्यु हो गयी है। किन्तु वाद पत्र के साथ सलंग्न जमाबंदी में मृत खातेदारों की विरासत दर्ज नही हुयी है। वादी का कथन है कि उनके वारिस वादी व प्रतिवादीगण ही है। किन्तु इसके समर्थन में वादी ने मृत्यु प्रमाण पत्र व शजरा प्रमाण पेश नही किया है। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को मृतक भंवरलाल का वारिस बताया है। जिसके अनुसार भंवरलाल ने गोपाल को दत्तक ग्रहण किया है। किन्तु वाद पत्र में गोदनामा भी पेश नही किया है। वाद में समस्त खातेदारों कि विरासत दर्ज नही होने तक विभाजन किया जाना संभव नही होगा।

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

अतः ग्राम भवानीखेडा के हाल खाता संख्या 104/132 किता 20 रकबा 2.07 कि आराजी पर वादी का वाद इस आशय से **"स्वीकार"** किया जाता हैं कि तहसीलदार नसीराबाद राज0 भू राज0 अधि0 1956 की धारा 135 (2) के प्रावधान अनुसार आराजी मुतनाजा पर समस्त मृतक खातेदारों की विरासत विधिक रूप से दर्ज कर सहखातेदारों के मध्य विधिवित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। वादी मृत खातेदारों के मृत्यु प्रमाण पत्र, शजरा व पंजीकृत गोदनामा तहसीलदार नसीराबाद को उपलब्ध करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गयां।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सुवा बनाम ग्यारसी वगै0

दावा बाबत :– 53, 88, 188, राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 45/2017
पेश करने की दिनांक – 18.3.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भवानीखेडा के हाल खाता संख्या 104/132 किता 20 रकबा 2.07 कि आराजी पर वादी का वाद इस आशय से **"स्वीकार"** किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद राज0 भू राज0 अधि0 1956 की धारा 135 (2) के प्रावधान अनुसार आराजी मुतनाजा पर समस्त मृतक खातेदारों की विरासत विधिक रूप से दर्ज कर सहखातेदारों के मध्य विधिवित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। वादी मृत खातेदारों के मृत्यु प्रमाण पत्र, शजरा व पंजीकृत गोदनामा तहसीलदार नसीराबाद को उपलब्ध करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— —— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 10 सन् 2018 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner